

	1963-69	1969-70	1970-71
दिग्नी मेन अस्पताल, दिल्ली	1876 39	1788 60	1369 35
मेन्ट्र क अस्पताल, नयी दिल्ली	618 81	764 91	718 68

(ग) और (घ) : साधारणतः निदान की आवश्यकताओं के अनुसार औषधि का भण्डार रखा जाना है। मरीजों के लिए और अधिक स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सेंट्रल अस्पताल, नयी दिल्ली में एक नया ब्लॉक बनाया जा रहा है जिसमें 70 खाटे दिल्ली मेन अस्पताल से अन्तर्गत की जायेंगी और 30 अनिर्दिष्ट खाटों की व्यवस्था की जायेगी। दिग्नी मेन अस्पताल की पुरानी इमारत जिनमें अन्तर्गत मरीज रहें जाते हैं, बहिरंग पाली किरातक के रूप में उपयोग में लायी जायेगी। पुरानी दिल्ली अस्पताल के अहाते की अन्य इमारतों को गिरा दिया जायेगा क्योंकि उनकी आयु-सीमा खत्म हो गयी है उनकी मरम्मत का विनाय औचित्य नहीं है। दिल्ली मेन अस्पताल में बहिरंग मरीजों के लिए पूरी सुविधाएं मिलनी रहेंगी जिनमें प्रयोगशाला, एक्सरे और वर्तमान कनिष्ठ विशेषज्ञा शामिल है।

उदयपुर (राजस्थान) में गांवों को बिजली की सप्लाई

3088. श्री लालजी भाई : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिन्हें गांधी सागर बांध से अब तक बिजली दी जा चुकी है;

(ख) भविष्य में इस बांध से और कितने गांवों को बिजली सप्लाई की जायेगी, और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) . (क) से (ग). उदयपुर और राजस्थान में कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए बिजली की सप्लाई चम्बल ग्रिड से होती है जिसे गांधी सागर तथा अन्य विद्युत् केन्द्रों से बिजली मिलती है। उदयपुर में 3159 ग्रामों में अब तक जिन ग्रामों में बिजली दी जा चुकी है उनकी संख्या 315 है। 1972-73 के दौरान 81 अन्य ग्रामों के विद्युत्करण होने की सम्भावना है।

उदयपुर के लिये माल डिब्बों की आवश्यकता

3089. श्री लालजी भाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)गत वर्ष में उदयपुर (राजस्थान) के व्यापारियों ने कितने माल डिब्बों की मांग की थी। और बड़े व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों को अलग अलग (व्यापारी-वाग) कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराये गये थे, और

(ख) कितने व्यापारी को अधिकतम माल डिब्बे उपलब्ध कराये गये थे और उनको कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराये गये थे ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तया) :

(क) पिछले वर्ष उदयपुर (राजस्थान) के व्यापारियों द्वारा मागे गये माल डिब्बों की संख्या 8, 654 और उन्हें सप्लाई किये गये माल डिब्बों की संख्या 6,131 थी। बड़े व्यापारियों और दूसरों को जिनमें माल डिब्बे सप्लाई किये गये उनकी संख्या नीचे दी हुई है :—

सप्लाई किये गये माल डिब्बों की संख्या	
राजस्थान मिनरल क०	927
एसोसिएटेड सोप स्टोन क०	497
धरती धन सोप स्टोन क०	171
श्री जी० इंडस्ट्रीज	270
के० एम० टी० इंडस्ट्रीज	568
पांडे मिनरल्स	384
एल० एम० पी० एण्ड क०	537
नलविया मिनरल्स	354
किशोर कारपोरेशन	32
प्रताप मिनरल्स	89
पाउडर ट्रेडिंग	32
एस० सी० गुप्ता एण्ड क०	34
अवेहर मिनरल्स क०	7
इंडियन मिनरल्स	28
मेवाड़ खनिज	28
अन्य	2, 173

(ख) राजस्थान मिनरल्स क० एक बड़ी व्यापारी कम्पनी है जिसे इस वर्ष के दौरान सबसे अधिक माल डिब्बे आवंटित किये गये थे। उसे 927 माल डिब्बे आवंटित किये गये थे।

Enquiry against Vigilance Inspector of Railway Board

3090. SHRI AZIZ IMAM : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 946 on the 21st March, 1972 regarding report against Vigilance Inspector, Railway Board and state :

(a) whether on the report of a Member of Parliament during 1971-72 enquiries were conducted against a Vigilance Inspector, Railway Board and whether as a result thereof the misconduct of the Vigilance Inspector was proved ; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) and (b) : A complaint against an Investigating Inspector of the Vigilance Directorate of the Railway Board was received from a Member of Parliament during 1971-72 i. e., April, 1971 to March, 1972. This is under investigation.

Re-booking of Consignment under Invoice No. 20 and 21 Ex-Khurai to Allahabad

3091. SHRI AZIZ IMAM : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the consignment booked ex-Khurai to Allahabad under Invoice No. 20 and 21 of 21st September, 1971 was further rebooked to Varanasi by an Official of Divisional Superintendent's Office, Allahabad ;

(b) whether the rebooking of the above consignment was done by a person who was not competent to re-book the consignment; and

(c) the official held responsible for the incident and action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) (a) The re-booking was done by Goods Inspector, Allahabad Station on receipt of permission from the Office of Divisional Superintendent, Allahabad.

(b) The file on the subject is not traceable in the Office of the Divisional Superintendent, Northern Railway, Allahabad. Hence it has not been possible to ascertain whether the re-booking was permitted by the competent authority.